इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 419] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 4 अक्टूबर 2012—आश्विन 12, शक 1934

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2012

सूचना

क्र. डी-15-07-2012-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (मण्डी समिति का निर्वाचन) नियम, 1997 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार, मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 12 तथा 13 के साथ पठित धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, धारा 79 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए, प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में इस सूचना का प्रकाशन होने की तारीख से पन्द्रह दिन का अवसान होने पर या उसके पश्चात् उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

प्रारूप संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 84 में, उपनियम (2) में, शब्द ''प्रत्येक सदस्य'' के स्थान पर, शब्द ''प्रत्येक निर्वाचित सदस्य'' स्थापित किए जाएं.

NOTICE

No. D-15-07-2012-XIV-3.—The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi (Mandi Samiti Ka Nirvachan) Rules, 1997, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 79 read with Section 12 and 13 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) is published as required by sub-section (1) of Section 79 for the information of all persons likely to be affected

thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration on or after the expire of Fifteen days from the date of publication of this notice in the "Madhya Pradesh Gazette."

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the above specified period shall be considered by the State Government.

AMENDMENT

In the said rules, in rule 84, in sub rule (2), for the words "every member" the words "every elected member" shall be substituted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
केदार शर्मा, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.